


20.6.22

पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। चूंकि
मूल वाद पत्र निर्णित किया जा चुका है।
इसलिए इस स्मार्थना पत्र की कोई आवश्यकता
सतीत नहीं होती है। अतः यह स्मार्थना पत्र
सारहीन होने पर इसी हल पर निरस्त
किया जाता है। पत्रावली वाद तत्परीव तत्कर्म
द्वारा दायित्व दफ्तार हो।


(प्रतिवादी)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना